FAX/EMAIL

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
NIRVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR-17,
PANCHKULA.

NO. SEC/2ME/2018/ 432 Dated: 01.02.2018

To

The Director,
Public Relations and Cultural Affairs, Haryana
Chandigarh.

Subject: Municipal General Elections-Preparation of Electoral Rolls of Municipalities-Advertisement regarding.

Sir,

I am directed to refer you on the subject noted above and to say that the Commission has decided to release the public notice (specimen attached) in the newspapers i.e. (English The Tribune & Indian Express and Hindi Punjab Kesari, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and Amar Ujjala on 02.02.2018 which are commonly read in the Haryana State.

Yours faithfully,

(Puhakar Dutt)
Superintendent/E-III,
State Election Commission, Haryana

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर–17, पंचकुला

दूरभाष : 0172-2584810, फैक्स–0172-2585904

सार्वजनिक सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा नगरपरिषद्, रिवाडी तथा 16 नगरपालिकाओं हथीन, फारूख नगर, हेलीमन्डी व पटौदी, अटेली मन्डी, व कनीना , नारनौद, खरखैदा, कलानौर, नीलोखेडी, इन्द्री, तावड़ू , सिवानी, बवानी खेडा, लोहारू, तथा जुलाना के आम चुनाव तथा वार्ड नम्बर 20, नगरपरिषद्, थानेसर व वार्ड नम्बर–4, नगरपालिका, असन्ध के उप–चुनाव निकट भविष्य में करवाये जाने हैं। अतः आयोग द्वारा उक्त नगरनिकायों की मतदाता सूचियों को तैयार एवं संशोधन करने सम्बन्धी अधिसूचनायें दिनांक 18.01.2018 तथा 23.01.2018 को जारी कर दी गई है।

2. संशोधित नियमों के अनुसार विधान सभा की मतदाता सूचियों को नगरपालिकाओं के वार्ड अनुसार विभाजित करके प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार की गई हैं, जिनका प्रारम्भिक प्रकाशन क्रमशः दिनांक 01.02.2018 तथा 06.02.2018 को कर दिया गया है/किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों के नाम विधान सभा की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं और प्रारूप मतदाता सूचियों में किसी कारणवश दर्ज होने से रह गये है, वह अपने दावे तथा आपतियां प्ररूप "क" तथा "ख" में दिनांक 08.02.2018 तथा 12.02.2018 तक सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन क्रमशः दिनांक 28.02.2018 तथा 12.03.2018 को किया जायेगा। मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम नगरनिकायों की मतदाता सूची में शामिल किये जा सकते हैं जिनके नाम

सम्बन्धित विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हों, अतः यदि कोई व्यक्ति उक्त नगर निकायों की वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवाना चाहता है, तो पहले उसे अपना नाम सम्बन्धित विधान सभा चुनाद क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित करवाना होगा अन्यथा सीधे तौर पर उसका नाम नगर निकायों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जायेगा । मतदाता सूचियां तैयार करने से सम्बन्धित अधिसूचना एवं दावे/आपति के फार्म इत्यादि सम्बन्धित उपायुक्त के कार्यालय में तथा आयोग की वैवसाईट www.secharyana.gov.in पर उपलब्ध है।